कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन भोपाल

कमांक 13388 प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2020 भोपाल, दिनांक 03/10/2023

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र –भेपाल/इंदसैर/ग्वालियर
/जबलपुर/ (वि./यां.)भोपाल

विषयः– सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी एंव कार्यभारित कर्मचारियों / मृतक दैनिक वेतन भोगी एंव कार्यभारित कर्मचारियों कर्मचारियों के परिजनों को पात्रतानुसार उपादान राशि का भुगतान सुनिश्चित करने विषयक।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय को सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों के उपादान भुगतान से संबंधित अनेकों न्यायालयीन प्रकरण भेजे जा रहे हैं, जिनमें न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 एंव सहायक श्रम आयुक्त से निर्णय उपरांत उपर के न्यायालय में अपील की अनुमति चाही गई हैं। इन प्रकरणों में पूर्ण परीक्षण उपरांत यह पाया गया हैं कि कर्मचारियों को म0प्र0शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27 अगस्त 2018 के अनुसार उपादान राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं तथा उनकी सेवाअवधि की गणना करते समय त्रुटिपूर्ण रूप से मात्र कार्यभारित स्थापना की सेवा अवधि को ही मान्य किया गया हैं। परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारी या मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को पात्रतानुसार राशि प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण लेनी पडी तथा न्यायालय द्वारा सही पात्रता राशि का अवार्ड पारित किये जाने पर भी शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण जानकारी के अभाव में आगे के न्यायालय में अपील करने का अभिमत दिया गया हैं।

इन प्रकरणों के सामने आने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर दिनांक 07.10.2016 के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले समस्त प्रकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एव कार्यभारित कर्मचारियों को उपादान राशि की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हैं। यह भी संभव हैं कि ऐसे अनेकों कर्मचारियों को उनकी पात्रतानुसार राशि का भुगतान नहीं किया गया हो तथा वे न्यायालय में भी नहीं गये हों ।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि वित्त विभाग म0प्र0शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9–4/2018/नियम/चार, दिनांक 27 अगस्त 2018 को जारी हुआ है, किन्तु इसे दिनांक 7 अक्टूबर 2016 से प्रभावी किया गया है। अतः **दिनांक 7 अक्टूबर 2016 से दिनांक 27 अगस्त 2018 के बीच तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सभी कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के उपादान भुगतान मामलों** का अनिवार्य रूप से पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता

3/10

होगी, तथा दिनांक 07.10.2016 के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले समस्त प्रकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एव कार्यभारित कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित मामलों में **"उपादान भुगतान अधिनियम 1972"** के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी :–

(1) ऐसे कार्यभारित कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ती तक कार्यभारित सेवा 5 वर्ष की नहीं होने कारण कोई उपादान राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

(2) ऐसे कार्यभारित कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ती तक कार्यभारित सेवा 05 वर्ष से अधिक की हो तथा उन्हें कार्यभारित सेवा अवधि के अनुसार ही उपादान राशि दी गई हो ।

(3) ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10..2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया गया हो तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उपादान राशि के रूप में कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के अनुसार निर्धारित निश्चित राशि का भुगतान किया गया हो।

(4) ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्हें स्थाईकर्मी योजना में सम्मिलित नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति पर किसी भी तरह की उपादान राशि का भुगतान नहीं हुआ हो।

(5) ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में ''रामनरेश रावत प्रकरण'' के समान पद के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) का लाभ प्रदान किया गया है, किन्तु तत्समय ऐसे कर्मचारियों के मामले में प्रावधान नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति पर किसी भी तरह की उपादान राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

इस संबंध में आपको **वित्त विभाग म0प्र0शासन के परिपत्र दिनांक 27 अगस्त 2018** (प्रतिलिपि संलग्न) का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने हेतु निर्देशित किया जाता हैं। परिपत्र में उल्लेख हैं कि सभी प्रक़ार के दैनिक वेतन भोगी एंव कार्यभारित कर्मचारियों को दिनांक 07.10.2016 के उपरांत मृत्यु होने पर अथवा सेवानिवृत्ति होने पर **"उपादान भुगतान अधिनियम 1972"** (प्रतिलिपि संलग्न) के प्रावधानों के अनुसार उपादान राशि का भुगतान किया जाये। शासन द्वारा "उपादान भुगतान अधिनियम 1972" के प्रावधानों के अनुसार उपादान भुगतान का दायित्व सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों को सौपा गया हैं, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हैं कि सभी नियंत्रण अधिकारियों को उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी हों ।

3/10

इस अधिनियम के जिन महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपको ध्यान में रखना हैं वे निम्नानुसार हैं:–

1. सेवा अवधि संबंधी प्रावधान जो निर्धारित करता हैं कि कौनसी सेवा अवधि मान्य की जानी हैं तथा कितनी सेवा अवधि को एक वर्ष माना जाना हैं।

2. राशि की गणना संबंधी प्रावधान, जिसमें **मासिक दर से मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की 15 दिवस की मजदूरी निकालने का फार्मूला** मुख्य हैं ।

आपकी सुविधा के लिए अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों को यहाँ यथावत रूप से उल्लेखित किया जा रहा है :–

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ii) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार ;

(ख) सेवा का सम्पूरित वर्ष" से एक वर्ष की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है ;

[(ग) निरन्तर सेवा" से धारा 2क में परिभाषित निरन्तर सेवा अभिप्रेत है ;

[2क. निरन्तर सेवा-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(1) किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी कालावधि के लिए निरन्तर सेवा में है यदि वह उस कालावधि के लिए अविच्छिन्न सेवा में रहा है, जिसके अन्तर्गत वह सेवा है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छुट्टी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति (जो ऐसी अनुपस्थिति नहीं है जिसके संबंध में स्थापन के कर्मचारियों को शासित करने वाले स्थायी आदेशों, नियमों या विनियमों के अनुसार अनुपस्थिति को सेवा में भंग के रूप में मानने वाला कोई आदेश पारित किया गया है), कामबंदी, हड़ताल या तालाबंदी अथवा ऐसे कार्यावरोध, जो कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात् की गई हो ;

धारा 2 (ii)(ध) मजदूरी" से वे सब उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कर्तव्यारूढ़ होने अथवा छुट्टी पर होने की दशा में अर्जित की जाती हैं तथा जो उसे नकद संदत्त की जाती हैं अथवा संदेय हैं तथा इसके अन्तर्गत महंगाई भत्ता है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई बोनस, कमीशन, गृह-किराया भत्ता, अतिकाल मजदूरी और कोई अन्य भत्ता नहीं है।

4. उपदान का संदाय-(1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको-

(क) उसकी अधिवर्षिता पर, अथवा

2/10